सीएसआईआर-केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान
राजभाषा अनुभाग

सं0 20-2/12/16-राभा0 | कार्यालय ज्ञापन | दिनांक 17/10/2017

विषय - हिंदी विज्ञापनों पर व्यय के संबंध में ।

संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा समय समय पर सीएसआईआर मुख्यालय तथा उसकी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निरीक्षण के समय विज्ञापनों को राजभाषा नीति के अनुरूप न दिए जाने पर, आपत्ति प्रकट की जाती रही है ।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों/उपक्रमों से विज्ञापन संबंधी राष्ट्रपति जी के आदेश का दृढ़तापूर्वक पालन सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध भी किया गया है । राष्ट्रपति जी के आदेश इस प्रकार है -

सं0	संस्तुति	राष्ट्रपति जी के आदेश
88	समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार सभी मंत्रालय/कार्यालयों को विज्ञापन की कुल राशि का न्यूनतम 50% व्यय हिंदी विज्ञापनों पर करना चाहिए । सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा अक्तूबर 2007 से लागू नई विज्ञापन नीति में समिति की उक्त सिफारिश के अनुसार समुचित संशोधन किया जाना चाहिए।	संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिवेदन खंड-8 की सिफारिश सं0 70 पर लिए गए आदेश को अधिक्रमित करते हुए खंड 9 की सिफारिश सं0 48 व 88 पर की गई संस्तुतियां इस संशोधन के साथ स्वीकार की जाती है कि मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों /उपक्रमों आदि द्वारा जो भी विज्ञापन अंग्रेजी/ क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं, उन्हें हिंदी में अनिवार्य रूप से दिया जाएगा ।

उल्लेखनीय है कि संसदीय राजभाषा समिति की दूसरी उपसमिति द्वारा निरीक्षण के दौरान राजभाषा कार्यान्वयन की समीक्षा की जाती है, जिसमें हिंदी विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि पर भी विचार किया जाता है । इसके अंतर्गत यह आवश्यक है कि अखिल भारतीय स्तर के विज्ञापन द्विभाषी (हिंदी-अंग्रेजी) रूप में जारी किए जाएं तथा इन विज्ञापनों पर खर्च हिंदी व अंग्रेजी पर समान रूप से किया जाना सुनिश्चित किया जाए और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि हिंदी के समाचारपत्रों में केवल हिंदी में ही विज्ञापन दिए जाएं और विज्ञापनों पर खर्च हुई राशि का ब्यौरा क्षेत्रवार ('क','ख' व 'ग' क्षेत्र के अनुसार) रखा जाए ।

संस्थान के सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुखों से इस संबंध में दृढ़तापूर्वक अनुपालन करना सुनिश्चित किए जाने का अनुरोध है ।

ओ.उम्मन पणिक्कर
(ओ.उम्मन पणिक्कर)
वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक

प्रतिलिपि -

1. निदेशक महोदय का कार्यालय
2. व0प्र0नि0 का कार्यालय
3. सभी अनुभागीय/प्रभागीय प्रमुख, H(Civil), MBSQ, So IDD
4. प्रभागीय प्रमुख, सीसीएन - वेबसाइट पर अपलोड करवाने के अनुरोध सहित ।
5. कार्यालय प्रति